

# न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0- 31 / 18-19

विनीता देवी बनाम् रैयान मौजा-झुरकुसिया

-: आदेश :-

05.01.2024

वर्तमान वाद आवेदिका विनीता देवी, पति-अशोक कुमार महतो, सा0-झुरकुसिया, थाना व अंचल-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा के आवेदन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 के तहत मौजा-झुरकुसिया के ग्राम प्रधान बहाली हेतु प्रकिया प्रारंभ किया गया है।

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने अपने पत्रांक-578/रा0, दिनांक-16.12.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि वर्तमान में प्रासंगिक मौजा खास रहने के कारण उक्त मौजा में प्रधान की नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।

  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।

Seen  
Bomale Kumar Singh  
Adc  
17/02/24